

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 151/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

अंकित बैरड पुत्र श्री राजपाल बैरड जाति जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड
सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0)

— वादी

बनाम

1. राजपाल पुत्र श्री देवीलाल } जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. श्रीमती सुषमा पत्नी श्री राजपाल } हाल 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर
3. सोनू बिस्सु [पुत्री श्री राजपाल] पत्नी श्री सुनील बिस्सु जाति जाट निवासी
सी-44, इरा ल्यूरल गार्डन, बरनाला रोड़ सिरसा (हरियाणा)
4. दीपिका चौधरी [पुत्री श्री राजपाल] पत्नी श्री विशाल सीगड़ जाति जाट निवासी
चक 31 जी जी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

- प्रतिवादीगण



उपस्थित-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी
पैरोकार राज

वादी
प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
(प्रति.-5)


—:: निर्णय ::—

दिनांक 10.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहने है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 64/46 के मुख्वा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1(0.228 है.), 6/2(0.025 है. खाला), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है.खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है. खाला), 24(0.253 है.), 25/1(0.227 है.), 25/2(0.026 है.खाला) = 1.265 है. [1.164 है. नहरी + 0.101 है. खाला] व मुख्वा नम्बर 48 के किला नम्बर 11 (0.228 है.), 12 (0.253 है.), 13/1(0.151 है.) = 0.632 है. नहरी कुल 1.897 है. (1.796 है. नहरी + 0.101 है. खाला) कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 64/46 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुख्वा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुख्वा नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है.), 3 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है.)= 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5/1(0.202 है), 5/2(0.051 है. खाला) = 0.253 है. नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1(0.228 है), 2/1(0.126 है), 6 से 9 (प्रत्येक में 0.253 है), 10(0.228है) = 1.594 है. नहरी कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 40/8 के मुरब्बा नम्बर 13, 41 व 47 की कुल 3.617 है. नहरी/वारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम 1164/3617 हिस्सा यानि 1.164 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 5 क्यू के खाता संख्या 64/46, 49/37, 5/5 व 40/8 की कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 इनके भाईयो द्वारा किये गये राजीनामा बंटवारा अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 03/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22/07/2020 के द्वारा हुए नामान्तरण संख्या 531 दिनांक 04/01/2023 एवं नामान्तरण संख्या 532 दिनांक 04/01/2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन सम्पति है उक्त विरास्तन जायदाद में वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 की 0.228 है., किला नम्बर 2/1 की 0.126 है. = 0.354 है. नहरी कृषि भूमि एवं इसी चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है), 3 से 5(प्रत्येक में 0.253 है.) = 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी अंकित बैरड पुत्र श्री राजपाल बैरड जाति जाट निवासी 468 वी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) कोघरेलू बंटवारा में दी गई जिसका वादी काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 25/08/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये हैं, यही विनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किए गए हैं। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे:-


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर


(क) कि चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 की 0.228 है., किला नम्बर 2/1 की 0.126 है. = 0.354 है. नहरी कृषि भूमि एवं इसी चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है.), 3 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है) = 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी अंकित बैरड़ पुत्र श्री राजपाल बैरड़ जाति जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्त भूमि का अलग लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार अलग लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 की 0.228 है., किला नम्बर 2/1 की 0.126 है. = 0.354 है. नहरी कृषि भूमि एवं इसी चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है.), 3 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है) = 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी अंकित बैरड़ पुत्र श्री राजपाल बैरड़ जाति जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 64/46 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.897 है. [1.796 है. नहरी + 0.101 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1(0.228 है.), 6/2(0.025 है. खाला), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है.खाला) = 0.506 है. [0.456 है. नहरी + 0.050 है. खाला] व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11 (0.228 है.), 12 (0.253 है.), 13/1(0.151 है.) = 0.632 है. नहरी कृषि भूमि को एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5/1(0.202 है.), 5/2(0.051 है. खाला) = 0.253 है. (0.202 है. नहरी + 0.051 है. खाला) कृषि भूमि को यानि उक्त वर्णित अनुसार दोनो खातो की 0.506 है. + 0.632 है. + 0.253 है. = 1.391 है. [1.290 है. नहरी + 0.101 है. खाला] कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 श्रीमती सुषमा पत्नी श्री राजपाल जाति


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) को दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1 की 0.228 है., किला नम्बर 2/1 की 0.126 है. = 0.354 है. नहरी कृषि भूमि एवं इसी चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है.), 3 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है) = 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी अंकित बैरड पुत्र श्री राजपाल बैरड जाति जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 64/46 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.897 है. (1.796 है. नहरी + 0.101 है. खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1(0.228 है.), 6/2(0.025 है. खाला), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है.खाला) = 0.506 है. [0.456 है. नहरी + 0.050 है. खाला] व मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11 (0.228 है.), 12 (0.253 है.), 13/1(0.151 है.) = 0.632 है. नहरी कृषि भूमि को एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुरब्बा नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5/1(0.202 है.), 5/2(0.051 है. खाला) = 0.253 है. (0.202 है. नहरी + 0.051 है. खाला) कृषि भूमि को यानि उक्त वर्णित अनुसार दोनो खातो की 0.506 है. + 0.632 है. + 0.253 है. = 1.391 है. [1.290 है. नहरी + 0.101 है. खाला] कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 श्रीमती सुषमा पत्नी श्री राजपाल जाति जाट निवासी 468 बी होमलैण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत्-2073 -2076 ग्राम 5 क्यू पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 64/46, जमाबन्दी सम्वत्-2073 -2076 ग्राम 5 क्यू पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 49/37, जमाबन्दी सम्वत्-2073 -2076 ग्राम 5 क्यू पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 5/5ए जमाबन्दी सम्वत्-2073 -2076 ग्राम 5 क्यू पटवार क्षेत्र दौलतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 40/8 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा भूमि के विरास्तन साक्ष्य स्वरूप नामान्तकरण संख्या 531/30.12.2022 एवम् नामान्तकरण संख्या 532/30.12.2022 की प्रमाणित प्रितियां पेश की गई। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है।

वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम् जमाबन्दी, एवं प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हमने सम्यंघ में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 एएससीड पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 एएससीड 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।


उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवन्यू अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता घोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—: आदेश :-

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी अंकित वेरड पुत्र श्री राजपाल वेरड जाति जाट निवासी 468 वी होमलेण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) को चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुख्या नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है। [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक में से मुख्या नम्बर 48 के किला नम्बर 1 की 0.228 है, किला नम्बर 2/1 की 0.126 है. = 0.354 है. नहरी कृषि भूमि एवं इसी चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 49/37 के मुख्या नम्बर 39 के किला नम्बर 25 की 0.253 है. नहरी व मुख्या नम्बर 48 के किला नम्बर 2/2 (0.126 है.), 3 से 5 (प्रत्येक में 0.253 है) = 0.885 है. नहरी कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि का एवम् प्रतिवादीया संख्या 2 श्रीमती सुषमा पत्नी श्री राजपाल जाति जाट निवासी 468 वी होमलेण्ड सिटी-1, श्रीगंगानगर (राज0) को प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 64/46 के मुख्या नम्बर 47 व 48 की कुल 1.897 है. (1.796 है. नहरी + 0.101 है. खाला) कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक में से मुख्या नम्बर 47 के किला नम्बर 6/1(0.228 है.), 6/2(0.025 है. खाला), 15/1(0.228 है.), 15/2 (0.025 है.खाला) = 0.506 है. [0.456 है. नहरी + 0.050 है. खाला] व मुख्या नम्बर 48 के किला नम्बर 11 (0.228 है.), 12 (0.253 है.), 13/1(0.151 है.) = 0.632 है. नहरी कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजपाल पुत्र देवीलाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 5/5 के मुख्या नम्बर 47 व 48 की कुल 1.847 है. [1.796 है. नहरी + 0.051 है. खाला] कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक में से मुख्या नम्बर 47 के किला नम्बर 5/1(0.202 है.), 5/2(0.051 है. खाला) = 0.253 है. (0.202 है. नहरी + 0.051 है. खाला) कृषि भूमि को यानि उक्त वर्णित अनुसार दोनो खातों की 0.506 है. + 0.632 है. + 0.253 है. = 1.391 है. [1.290 है. नहरी + 0.101 है. खाला] कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राजस्थान रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा
महरी/बासनी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुता से आज दिनांक 10.10.2024 को जारी किया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।



पं.
(राजकीय) अधिकारी (राजस्थान)
उपस्थान अधिकारी न्याय
पदेन सहायके कलेक्टर,
श्रीगंगानगर